संख्या-3/2017/291/एक-3-2017

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- आयुक्त,
चकबन्दी, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

3- आयुक्त,
राहत एवं आपदा,
उ0प्र0, बापू भवन, लखनऊ।

4- निदेशक,
भू अध्यप्ति,
उ0प्र0, लखनऊ।

5- प्रमुख सम्पादक,
जिला गजेटियर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 फरवरी,2017

विषय- उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-एस0ई0जी0सी0टी0एस0/पत्रा-444/2016-17/17, दिनांक 15 फरवरी,2017 (फोटो प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से सभी राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के स्टेट हेल्थ कार्ड जारी किये जाने के लिये प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए कार्डों के निर्गमन हेतु अविलम्ब कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है। उक्त योजना का क्रियान्वयन 01 मई,2017 से प्रस्तावित है, जिसके पूर्व सभी कर्मचारियों का पंजीकरण करते हुए "स्टेट हेल्थ कार्ड" निर्गमन की कार्यवाही की जानी है। मासिक प्रगति के लिए प्रारूप का भी निर्धारण किया गया है।

2- इस सन्दर्भ में निर्गत पत्र संख्या-2/2017/282/एक-3-2017, दिनांक 15 फरवरी,2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित पत्र संख्या-एस0ई0जी0सी0टी0एस0/पत्रा-444/2016-17/17, दिनांक 15 फरवरी,2017 में अंकित निर्देशानुसार, समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-3/2017/291(1)/एक-3-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-एस0ई0जी0सी0टी0एस0/पत्रा-444/2016-17/17,दिनांक 15 फरवरी,2017 के सन्दर्भ में।

2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, राजस्व लेखा अनुभाग को उपरोक्त उल्लिखित संलग्नक सहित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

3- चिकित्सा अनुभाग-6 ।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इंश्योरेन्स, चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।